भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1509
31 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

महुआ, इमली,चिरौंजी और अन्य वन उपजों के प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना

1509 # श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बस्तर और सरगुजा के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में महुआ, इमली, चिरौंजी और अन्य लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक अवसंरचना का अभाव है; और
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उपजों हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर रही है तथा विशेष तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) तथा एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोसाहित कर रहा है। ये योजनाएँ मांग आधारित हैं और बस्तर और सरगुजा के जनजातीय -प्रधान क्षेत्रों सहित देश भर में कार्यान्वित्त की जाती हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाता है।

स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाया गया है, ताकि कच्चे माल की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों की मार्केटिंग के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए ढांचा प्रदान करती है। बस्तर और सरगुजा के जनजातीय-प्रधान क्षेत्रों में निम्नलिखित उत्पादों को ओडीओपी के रूप में पहचाना गया है -

क्र.सं.	**जिला**	**ओडीओपी**
1.	बलरामपुर	चावल आधारित उत्पाद
2.	बिजापुर	लघु वन उपज (महुआ आदि)
3.	दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)	आम

4.	जगदलपुर (बस्तर)	लघु वन उपज (इमली)
5.	जशपुर	चावल आधारित उत्पाद
6.	कांकेर (उत्तर बस्तर)	शरीफा आधारित उत्पाद
7.	कोंडागांव	काजू आधारित उत्पाद
8.	कोरिया	टमाटर आधारित उत्पाद
9.	नारायणपुर	लघु वन उपज (हर्रा आदि)
10.	सुकमा	मिलेट आधारित उत्पाद (ज्वार, कोदो-कुटकी)
11.	सूरजपुर	हल्दी आधारित उत्पाद
12.	सरगुजा	लघु वन उपज (महुआ, कटहल आदि)

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 30.06.2026 तक 1941 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 84.04 करोड़ रुपये की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए अनुमोदन दिया गया है, जिनमें से 458 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, जिनकी सब्सिडी 13.73 करोड़ रुपये है, छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 30.06.2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य में पीएमएफएमई योजना के तहत 10,194 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों के लिए 14.13 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई है, जिसमें से 14.13 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में 5513 एसएचजी सदस्यों के लिए ₹7.28 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी मंजूर की गई है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, एमओएफपीआई प्रशिक्षकों, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स, उद्यमियों और विभिन्न अन्य समूहों में महिला उद्यमी सहित उद्यमियों को उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) और उत्पाद-विशिष्ट कौशल के लिए प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करता है, ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस योजना में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज़ को मजबूत करने, सामान्य सुविधाएं, इनक्यूबेशन केंद्र, और विपणन एवं ब्रांडिंग के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य में 7,310 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से दिनांक 30.06.2026 तक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में 3,194 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

एमओएफपीआई ने छत्तीसगढ़ में दिनांक 30.06.2026 तक 12 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिनकी परियोजना लागत रु. 324.30 करोड़ है, जिसमें पीएमकेएसवाई के संबंधित घटक योजनाओं के अंतर्गत 102.61 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता अनुमोदित है, जिनमें से 30.06 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाले 2 परियोजनाएँ, जिनके लिए 12.41 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता अनुमोदित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित हैं। पीएलआईएसएफपीआई योजना के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्रस्ताव को 45.14 करोड़ रुपये के वास्तविक निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है। पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया है।

*****